



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1406/UK/2/2023-ESD **NOTICE**

दिनांक: 21.03.2023

सेवा में,

श्री नितेश कुमार झा,
सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तराखंड शासन,
सचिवालय भवन,
राजपुर रोड, देहारादून, उत्तराखंड -248001
ईमेल: secynkjha@gmail.com

श्री युगल किशोर पंत,
कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-उधम सिंह नगर,
कलेक्ट्रेट कंपाउंड, रुद्रपुर
उधम सिंह नगर,
उत्तराखंड
ई-मेल : dm-usn-ua@nic.in

श्री टी. सी. मंजूनाथ,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
ऊधम सिंह नगर
रुद्रपुर, उत्तराखंड- 263153
ईमेल- ssp-usn-ua@nic.in

विषय: जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद- ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड के द्वारा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र की विकास योजनाओं को अनुमोदित न करने और क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या का उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में सुश्री सुमन सिंह, पुत्री श्री श्याम सिंह, (जिला पंचायत सदस्य), ग्राम- खेमपुर, विकास खण्ड व तहसील- गदरपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड का दिनांक 15.02.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सुश्री सुमन सिंह से दिनांक 15.02.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

सुश्री सुमन सिंह,
पुत्री श्री श्याम सिंह,
(जिला पंचायत सदस्य),
ग्राम- खेमपुर, विकास खण्ड व तहसील- गदरपुर,
जिला- ऊधम सिंह नगर,

उत्तराखण्ड